पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 –188/2023

अनवान : –

1. शिशपाल पुत्र श्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चतरसिंह पुत्र श्री नथू जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रणवीर पुत्र श्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
3. कमला पुत्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. समेरत्ता पुत्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जून बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के मु0न0 33 के किला नं0 15 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 38 के किला नं0 1, 2,, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 39 के किला नं0 5/1 की 0.227है0, 5/2 की 0.026है0, 6/1 की 0.228है, 6/2 की 0.025है0, 7, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0, 15/1 की 0.228है0, 15/2 की 0. 025है0, 16/1 की 0.228है0, 16/2 की 0.025है0 17 की 0.253है0 कुल किता 28 की कुल 6. 0720है0 जिसमें नहरी 5.9710है0, गै0मु0 खाला 0.1010है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 चतरसिंह के नाम वाद भूमि से कलमजन किया जाकर वादी शिशपाल व प्रतिवादी संख्या 2 रणवीर दोनो को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि [illegible] तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन [illegible] रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.0[illegible]2024 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 188 / 2023

अनवान : —

1. शिशपाल पुत्र श्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चतरसिंह पुत्र श्री नथू जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रणवीर पुत्र श्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
3. कमला पुत्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. समेस्ता पुत्री चतरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेश बैनीवाल **वादी**
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 05.01.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 16 / 15 के मु0न0 33 के किला नं0 15 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 38 के किला नं0 1, 2,, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 39 के किला नं0 5 / 1 की 0.227है0, 5 / 2 की 0.026है0, 6 / 1 की 0.228है, 6 / 2 की 0.025है0, 7, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0, 15 / 1 की 0.228है0, 15 / 2 की 0.025है0, 16 / 1 की 0. 228है0, 16 / 2 की 0.025है0 17 की 0.253है0 कुल किता 28 की कुल 6.0720है0 जिसमें नहरी 5.9710है0, गै0मु0 खाला 0.1010है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रीति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 आजकल–आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमती से

राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को वकील वादी की ओर से तर्क अंकित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी शिशपाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये जिनको सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के मु0न0 33 के किला नं0 15 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 38 के किला नं0 1, 2,, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 39 के किला नं0 5/1 की 0.227है0, 5/2 की 0.026है0, 6/1 की 0.228है, 6/2 की 0.025है0, 7, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0, 15/1 की 0.228है0, 15/2 की 0.025है0, 16/1 की 0.228है0, 16/2 की 0.025है0 17 की 0.253है0 कुल किता 28 की कुल 6.0720है0 जिसमें नहरी 5.9710है0, गै0मु0 खाला 0.1010है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण संख्या 2 , 3, व 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह काफी वृद्ध हो चुका है, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की अच्छी तरह से सार–संभाल , देखभाल कर रहें है प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह ने भी राजीखुशी से अपनी इच्छा से अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। चूंकि चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 15/12 के मु0न0 38,39,41 की कुल 2.9100है0 नहरी मय गै0मु0 खाला कृषि भमि वादी की माता गीतादेवी के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी के पित प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह व माता गीतादेवी ने इस खाता की कृषि भूमि को काश्त करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के मु0न0 33 के किला नं0 15 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 38 के किला नं0 1, 2,, 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0न0 39 के किला नं0 5/1 की 0.227है0, 5/2 की 0.026है0, 6/1 की 0.228है, 6/2 की 0.025है0, 7, 14 प्रत्येक किला की 0.253है0, 15/1 की 0.228है0, 15/2 की 0.025है0, 16/1 की 0.228है0, 16/2 की 0.025है0 17 की 0.253है0 कुल किता 28 की कुल 6.0720है0 जिसमें नहरी 5.9710है0, गै0मु0 खाला 0.1010है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चतरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 चतरसिंह के नाम वाद भूमि से कलमजन किया जाकर वादी शिशपाल व प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested

...धिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

रणवीर दोनो को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:55 IST
Reason: SelfAttested